संख्या–भा0सं0–47/79–6–04–28(70)/04

प्रेषक,

श्री जे0एस0दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 04 नवम्बर, 2004

विषयः प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद एवं मान्यता प्राप्त सम्पूर्ण विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1646/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.–3 दिनांक 23 जुलाई, 2004 एवं शासनादेश संख्या–2826/79–5–04–233/04 दिनांक 29 जुलाई, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तामिलनाडू में कुम्मकोड़म के एक स्कूल में आग लगने से सैकड़ों निर्दोष बच्चों की दुखद मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सरकारी/परिषदीय/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों में विद्यालय शिक्षण अवधि में समस्त शिक्षक अपने छात्रों की सुरक्षा हेतु संवेदनशील रहेंगे तथा किसी भी संकटकालीन घटना में छात्रों को सुरक्षित रखने का पर्याप्त ध्यान दिया जाय।

2. शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि 16 जुलाई को प्रदेश में प्रत्येक वर्श स्कूल स्वास्थ एवं सुरक्षा दिवस (स्कूल हेल्थ एण्ड सेफ्टी डे) मानाया जाएगा। इस दिन सुरक्षा अभ्यास (सेफ्टी ड्रिल) एवं अन्य अनेक सुरक्षा तथा स्वास्थ सम्बन्धी सांस्कृतिक कार्यक्रम अध्यापकों एवं छात्रों के माध्य आयोजित किए जाएगें। उक्त निर्देश का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)
सचिव

<u>पृष्ठांकन समसंख्यक(1) तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)